

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 17, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र. 23427-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जन-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१४

## मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त ( संशोधन ) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

धारा ५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ (क्रमांक ३७ सन् १९८१) की धारा ५ में, उपधारा (१) में,

(एक) विद्यमान प्रथम परन्तुक में, शब्द “परन्तु” के स्थान पर, शब्द “परन्तु यह और कि” स्थापित किए जाएं;

(दो) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, शब्द “परन्तु यह और कि” के स्थान पर, शब्द “परन्तु यह और भी कि” स्थापित किए जाएं;

(तीन) विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु लोकायुक्त, उसकी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह बढ़ी हुई कालावधि किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:”.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यदि लोकायुक्त का पद उसकी पदावधि पूर्ण हो जान के कारण रिक्त होता है तो आगामी लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने में स्वाभाविक रूप से समय लग जाता है. लोकायुक्त का पद रिक्त होने पर संगठन संबंधी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

२. अतएव, राज्य में लोकायुक्त संगठन के निर्बाध कार्यकरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ (क्रमांक ३७ सन् १९८१) की धारा ५ को, लोकायुक्त की पदावधि के संबंध में, यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २ दिसम्बर, २०१४

लाल सिंह आर्य

भारसाधक सदस्य.